संख्या-19 /2022/।/222344/2022/002-38-2002-001-2-2021

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य् विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 10 अक्टूबर, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन योजनान्तर्गत डी0आर0डी0ए0 कार्मिकों के द्वितीय छमाही के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1021/लेखा-पेंशन/डी0आर0डी0ए0प्रशा0/2022-2023, दिनांक 06 सितम्बर, 2022 एवं पत्र संख्या-जी0ओ0-299/लेखा-पेंशन/डी0आर0डी0ए0प्रशा0/2022-2023, दिनांक 26 सितम्बर, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन योजनान्तर्गत डी0आर0डी0ए0 कार्मिकों के द्वितीय छमाही के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु अवशेष धनराशि रू0 3000.00 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या- 13 के लेखाशीर्ष-"2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-04-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 6000.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय छमाही हेतु धनराशि रूपये 3000.00 लाख (रूपये तीस करोड़ मात्र) द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययमयक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण स्वीकृत धनराशि की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण-वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0 प्र0 को दी जायेगी।

(3) वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समर्पित कर दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा ऑकडों की शुद्वता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियम संगत व्यय एवं निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(7) प्रश्न्गत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्या प्राप्त कर ली जायेगी।

(8) उक्त धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 30,00,00,000 (रुपये तीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 2501018000400 जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन **मानक मद** 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-75/दस-2022-23, दिनांक , 06 अक्टूबर, 2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
उप सचिव,

संख्या-19 /2022/।/222344/2022/002-38-2002-001-2-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- श्री हरी राम, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास उ0 प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/वित्त् (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु0-3
8- ग्राम्य विकास अनु0-3
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजीव कुमार वत्स
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in